

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1044

(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के लिए निधियों का आबंटन

1044. श्री वाई0 एस0 चौधरी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2012-13 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए निर्दिष्ट निधियों का ब्यौर क्या है;
- (ख) अब तक की स्थिति के अनुसार आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) अब तक की स्थिति के अनुसार व्यय की गई/अव्ययित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को कुछ राज्यों से मनरेगा की निधियों के दुरुपयोग की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो उनकी क्या स्थिति है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) : वर्ष 2012-13 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए परिव्यय का बजट अनुमान 33000.00 करोड़ रु० है

(ख) और (ग) : मनरेगा मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जहां राज्य/संघ राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, अक्टूबर, 2012 तक मनरेगा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों के केंद्रीय अंश और व्यय के ब्यौरे अनुबंध- I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) : जी, हां। मंत्रालय को कार्यक्रम निधियों के दुरुपयोग सहित महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जाँच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं, क्योंकि अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। प्राप्त हुई और निपटाई गई ऐसी शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध II में दिया गया है।

भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध I

वित्तीय वर्ष : 2012-13 (2.11.2012 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु० में)

क्र.सं.	राज्य	रिलीज की गई केन्द्रीय निधि	कुल व्यय	खर्च न की गई शेष राशि
1.	आंध्र प्रदेश	222488.52	312880.81	77565.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	2654.39	547.21	3453.61
3.	असम	36346.58	27738.51	20722.76
4.	बिहार	70000.00	96192.66	83173.29
5.	छत्तीसगढ़	203136.31	110584.53	153203.87
6.	गुजरात	22152.62	32100.29	7962.44
7.	हरियाणा	33685.09	14983.90	19584.70
8.	हिमाचल प्रदेश	32136.64	22953.77	26833.48
9.	जम्मू व कश्मीर	33890.78	18597.68	35228.09
10.	झारखंड	37500.35	60669.72	31327.77
11.	कर्नाटक	95000.00	84063.55	63165.28
12.	केरल	105373.04	61366.07	60341.21
13.	मध्य प्रदेश	54580.36	154254.26	96848.18
14.	महाराष्ट्र	87456.67	116245.01	21157.33
15.	मणिपुर	45099.13	8585.66	39239.00
16.	मेघालय	13198.97	12242.60	4602.49
17.	मिजोरम	16187.44	9862.22	6845.25
18.	नागालैंड	21700.97	7777.50	18813.47
19.	ओडिशा	76937.53	54131.93	65426.03
20.	पंजाब	8997.03	8194.86	5564.02
21.	राजस्थान	166027.59	197653.39	172729.20
22.	सिक्किम	5326.91	2222.71	3552.90
23.	तमिलनाडु	354605.42	243229.22	372880.82
24.	त्रिपुरा	76799.05	36847.95	94768.31
25.	उत्तर प्रदेश	88884.00	127921.85	129110.51
26.	उत्तराखण्ड	19750.83	10794.30	11333.22
27.	प. बंगाल	265518.05	225976.38	91774.57
28.	अ. व नि. द्वीपसमूह	753.78	288.24	679.31
29.	दादरा व नगर हवेली	39.56	0.00	1551.56
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
31.	गोवा	241.16	86.57	407.84
32.	लक्षद्वीप	117.55	72.33	229.88
33.	पुडुचेरी	480.93	1073.96	306.97
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
	कुल	2197067.25	2060139.64	1720383.27

*अप्रयुक्त शेष राशि = कुल उपलब्ध निधि (अथशेष, केन्द्रीय रिलीज, राज्य अंश, विविध प्राप्ति) - व्यय

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारंकित प्रश्न सं.1044 के भाग (घ) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II

(31-10-2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1.	आंध्र प्रदेश	52	28	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	00	01
3.	असम	44	11	33
4.	बिहार	243	57	186
5.	छत्तीसगढ़	122	77	45
6.	गोवा	01	00	01
7.	गुजरात	50	26	24
8.	हरियाणा	79	52	27
9.	हिमाचल प्रदेश	36	17	19
10.	जम्मू व कश्मीर	07	05	02
11.	झारखंड	152	76	76
12.	कर्नाटक	38	16	22
13.	केरल	16	11	05
14.	लक्षद्वीप	02	02	00
15.	मध्य प्रदेश	550	261	289
16.	मेघालय	04	03	01
17.	महाराष्ट्र	31	26	05
18.	मणिपुर	18	09	09
19.	मिजोरम	01	01	00
20.	नागालैंड	06	03	03
21.	ओडिशा	80	28	52
22.	पंजाब	26	20	06
23.	पुदुचेरी	03	01	02
24.	राजस्थान	267	142	125
25.	सिक्किम	01	01	00
26.	तमिलनाडु	20	12	08
27.	त्रिपुरा	03	03	00
28.	उत्तर प्रदेश	1574	923	651
29.	उत्तराखण्ड	41	29	12
30.	प. बंगाल	48	30	18
	अखिल भारत	3516	1870	1646